

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री संजय चाण्डक इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत तहसीलदार पीलीबंगा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 700 दिनांक 28.10.25 के आधार पर आपत्ति प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रतिवादी को आंशिक स्वीकार करते हुए निम्नअनुसार अन्तिम डिक्री किया जाता है—

1. वादीगण को प्राप्त भूमि —चक 28 एसटीजी ए के प.न. 40/317 किला न. 11/.088, 12/.088, 13/.089, 14/.089, 15/.089 मय रास्ता 16/.253 मय रास्ता , 17 ता 24 की 2.024 , 25/.253 मय रास्ता कुल 2.973 है मय गै.मु. रास्ता व प.न. 40/318 मु.न. 7 किला न 1/.253, 2/1/.126 है. कुल 3.3520 है. मय रास्ता का खाता विभाजन किया जाता है रकम राज अलग कायम की जावे।

2. प्रतिवादी संख्या 1 काशी राम व प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र को प्राप्त भूमि :- चक 28 एसटीजी ए के प.न. 40/317 के किला न. 1/1 ता 4/2 की 1.012 है. व किला न. 5/.253 मय रास्ता ,6/.253 मय रास्ता , 7 ता 10 सालम 11/.165, 12/.165, 13/.164, 14/.164, 15/.164 मय रास्ता कुल 3.3520 है. मय गैर मु. रास्ता का बहिब

3
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा

स्वामिन्दाय काश्तकार घोषित किया जाता है रकम राज अलग कायम की जावे।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें प्राथमिक डिक्री जारी हो।

3 13/04/26
(उमरु मित्तल आर.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

